Title: Regarding privileges of the Parliamentarians of getting two children admitted to the Central Schools in his/her constitutency.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सांसदों को प्रति वर्ा उनकी अनुशंसा पर सेंट्रल स्कूल में दो बच्चों के नामांकन हेतु पत्र मिला था। इधर जो फार्म हमें मिला है उसमें लिखा है कि अगर किसी सांसद के क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं है, तो उनका नामांकन नहीं होगा, जबकि इस सदन के कुछ सांसदों के क्षेत्र में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। जिन सांसदों के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय है, उनको तो नामांकन की सुविधा प्राप्त है। राज्य सभा के जो सांसद हैं, उनको पूरे राज्य में इस तरह नामांकन की अनुमति दी गई है कि उनकी अनुशंसा पर दो बच्चों का केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन हो सकेगा। जबकि इस सदन में सांसदों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए हम आपसे और सरकार से, यहां प्रधान मंत्री जी भी मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि अगर यह प्रक्रिया बनाई गई है कि सांसदों की अनुशंसा पर दो बच्चों का नामांकन हो सकेगा तो यह इजाजत सभी को मिलनी चाहिए। यह सांसदों के विशेषाधिकार का सवाल है इसलिए सरकार की तरफ से इस पर उत्तर आना चाहिए और जो विशेाधिकार सांसदों को प्राप्त है उसकी क्यों अवहेलना की जाती है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके भी विचार इस पर जानना चाहेंगेâ€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Muniyappa, you can also associate with Shri Prabhu Nath Singh on the same subject.

...(*Interruptions*)

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Sir, this is a separate subject.

Mr. Speaker, Sir, I think the hon. Minister of Parliamentary Affairs should take note of this point. I would like to raise this pointâ€¦ (*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके सामने सवाल रखा है, सरकार को आप इस पर जवाब देने के लिए कहें। मदन जायसवाल जी ने अनुशंसा की थी, लेकिन उनको जवाब मिला है कि आपके यहां सेंट्रल स्कूल नहीं होने के कारण नामांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जवाब दे और मामले को इस तरह से नहीं दबाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं।

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Is there anything from the Government on this?

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में क्या कर रहे हैं? How can you speak without the permission of the Chair? You have to take the Chair's permission before speaking.

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आपको चेयर से परमिशन लेनी चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला केवल माननीय सदस्य् प्रभुनाथ सिंह जी से ही संबंधित नहीं है। पूरे सदन में जो देहात और सुदूर देहात के इलाके से आए हुए, चुने हुए माननीय सांसद हैं और जिनके क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, उन लोगों को कूपन दिया जा रहा है। क्या मानव संसाधन मंत्री इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो सांसद देहाती इलाकों से हैं, उनको अनुशंसा करने का अधिकार ही नहीं है तो उनको कूपन न दिया जाए। ये कूपन क्यों दिए जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि उनसे कूपन वापिस लिए जायें। इस प्रकार की भेदभाव की नीति क्यों बरती जा रही है, इसको तुरन्त समाप्त किया जाए। माननीय मंत्री जी का कहना है, बम्बई हाईकोर्ट का आदेश है, जिन माननीय सासदों के क्षेत्र में केन्द्रीय ि वद्यालय है, उन्हीं लोगों की अनुशंसा मानी जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती है? सरकार क्यों अंधकार में है, सरकार इस तरह के नीति मूलक फैसले क्यों नही करती है, जो सभी माननीय सदस्यों के लिए मान्य हों?

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Let this system be abolished. We do not mind that.